न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत स्थान सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

राजस्व वाद संख्या : 09 / 2024
निर्णय दिनांक : 22.12.2024
जीसीएमएस संख्या– 2024 / 202 दायर दिनांक – 11.09.2024

कुनण मल पुत्र गोरा राम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी वार्ड नंबर 09 सुजानगढ़ जिला चूरू

...............वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरू राजरथान

................प्रतिवादी

दावा बाबत राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थित :–
1. श्री रमेश बिस्सु एडवोकेट वादी
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के संयुक्त खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग, उपभोग के खेत खाता संख्या 37 खसरा संख्या 837 / 292 तादादी 1.8588 हैक्टेयर व खसरा संख्या 839 / 305 तादादी 5.1212 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 6.9800 हैक्टेयर वाके रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में स्थित है। जिन्हे वाद में वादगत भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

वादी का नाम दर्ज करते वक्त पटवारी हल्का ने गलती से वादी का बोलता नाम कुनाराम पुत्र गोरधन के नाम खातेदारी अंकित कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम कुनण मल पुत्र गोरा राम है जो कि वादी के पहचान के दस्तावेजात आदि में अंकित है। राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को आवश्यक हो गया कि वह राजस्व रिकॉर्ड में गलत चले आ रहे अंकन को दुरस्त करवाये। जिसका वह कानूनन अधिकारी है।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत में वादी का नाम कुनाराम पुत्र गोरधन जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम कुनणमल पुत्र गोराराम जाति कुम्हार(प्रजापति) है। कुनणाराम व कुनणमल दोनों

सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़   सदस्य लोक अदालत सुजानगढ़   लोक अदालत सुजानगढ़

एक ही व्यक्ति हैं अलग–अलग नहीं है। अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में कुनाराम पुत्र गोरधन के स्थान पर कुनणमल पुत्र गोराराम किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, बैंक पास बुक की फोटोप्रति., निर्वाचन विभाग का पहचान प्रमाण पत्र, आयकर विभाग का पहचान प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजात में भी वादी का नाम कुनणमल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 37 खसरा संख्या 837/292 तादादी 1.8588 हैक्टेयर व खसरा संख्या 839/305 तादादी 5.1212 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 6.9800 हैक्टेयर वाके रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम कुनाराम पुत्र गोरधन जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर कुनणमल पुत्र गोराराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तदनुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को टंकित करवाया जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवेन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

डिकरी ब मुकदमें इब्तादाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़ दिनांक 22.12.2024

कुनणमल बनाम राज. सरकार

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा न0 99 सन 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रु–ब–रु हाजरी श्री रमेश बिरसु एड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खाता संख्या 37 खसरा संख्या 837/292 तादादी 1.8588 हैक्टेयर व खसरा संख्या 839/305 तादादी 5.1212 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 6.9800 हैक्टेयर वाके रोही मलसीसर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू की कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम कुनाराम पुत्र गोरधन जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार के स्थान पर कुनणमल पुत्र गोराराम जाति कुम्हार(प्रजापति) निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज किया जावे। तद्नुसार परचा डिक्री जारी हो। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 22 माह 12. 2024**

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

पैनल अधिवक्ता (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

रेवन्यू अधिकारी (सदस्य)
राष्ट्रीय लोक अदालत
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये